विश्व जल दिवस

खेती री बातां

हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेने में है। सफल होने का सबसे सटीक तरीका है, एक बार और कोशिश करना।

वर्ष–18 अंक–4 मासिक पत्रिका आर.एन.आई. – 70296/98 5 अप्रेल 2015 वार्षिक शुल्क– 12 रुपये

राज्य बजट 2015–16 में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया, जिसमें कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन क्षेत्र की अनेक घोषणाएं की गई

कृषि एवं उद्यानिकी

★ राज्य में पंचायत समिति स्तर पर 248 एवं ग्राम पंचायत स्तर पर 2 हजार 500 किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण करवाया जा रहा है। वर्ष 2015–16 में 59 पंचायत समितियों एवं 1 हजार 410 ग्राम पंचायतों में शेष रहे किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण पूर्ण करा लिया जायेगा। इन केन्द्रों को क्रियाशील करने के लिए 5 करोड़ 22 लाख रुपये की लागत से फर्नीचर आदि उपलब्ध कराये जायेंगे।

★ वर्ष 2015–16 में किसान भाईयों को खरीफ व रबी मौसम में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए 3 लाख मैट्रिक टन यूरिया, 1 लाख मैट्रिक टन डी.ए.पी. का अग्रिम भंडारण किया जायेगा। जिस पर 55 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

★ राज्य में ऐसे अनेक प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किये हैं। इनके तकनीकी ज्ञान तथा अनुभव का लाभ राज्य के अन्य किसानों को उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ऐसे किसानों की पहचान कर, इन्हें

अवैतनिक विस्तार कार्यकर्ता के रुप में मान्यता दी जायेगी ताकि इनकी निःशुल्क सेवायें अन्य काश्तकारों को भी मिल सकें। इनके खेतों पर अन्य काश्तकारों का भ्रमण भी कराया जायेगा। इस हेतु एक विस्तृत योजना तैयार की जायेगी।

★ समय की मांग है कि खेती में रसायनों का कम से कम प्रयोग किया जाये तथा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाये। जैविक खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य के तीन कृषकों को प्रति वर्ष राज्य स्तरीय अवार्ड देने की घोषणा की।

★ चयनित कृषकों को नवीन कृषि तकनीक की जानकारी के लिए देश–विदेश में भ्रमण करवाया जायेगा।

★ राज्य में किसानों को उचित दरों पर सब्जियों के गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य बीज निगम द्वारा राज्य में उगाई जाने वाली सब्जियों के बीजों का उत्पादन प्रारंभ किया जायेगा। इस हेतु आगामी वर्ष में 5 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा। साथ ही, बीजों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु उदयपुर में बीज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी। इसके अतिरिक्त बीजों के उत्पादन एवं विपणन को बढ़ावा देने हेतु चौमूं (जयपुर), प्रतापगढ़, बीकानेर, गुढामलानी (बाड़मेर) एवं बानसूर (अलवर) में नये विस्तार केन्द्र खोले जायेंगे। कोटा संभाग के समस्त जिलों में भी एक–एक विस्तार केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है।

★ खरीफ– 2015 में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व सिरोही जिले के जनजाति, गैर–जनजाति बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवार के कृषकों तथा बांरा जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों के

शेष पृष्ठ 4 पर .....

सरकार ने की किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा

राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में ओलावृष्टि से प्रभावित काश्तकारों को राहत पहुँचाने हेतु राहत पैकेज घोषित किया है जो निम्न प्रकार हैः–

★ जिन लघु सीमान्त एवं अन्य कृषकों की 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति (बोये गये क्षेत्र का) हुई है, उनको निम्न अनुसार कृषि आदान अनुदान दिया जायेगा जो राज्य आपदा राहत कोष (एस.डी.आर.एफ.) मानदण्डों के अन्तर्गत सम्बन्धित जोत सीमा एवं नोर्म्स अनुसार अधिकतम दो हैक्टर तक देय होगाः–

★ असिंचित क्षेत्र हेतु–4500 रुपये प्रति हैक्टर, सिंचित क्षेत्र हेतु–बिजली के कुओं व नहर से सिंचित क्षेत्र हेतु 9000 रुपये प्रति हैक्टर एवं डीजल पम्प सैट से सिंचित क्षेत्र हेतु 12000 रुपये प्रति हैक्टर।

★ जिन लघु एवं सीमान्त कृषकों की बोये गये क्षेत्र का फसल में 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ है, उनके बिजली के 4 माह के बिल माफ किये जायेगें।

★ ओलावृष्टि से प्रभावित 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले काश्तकारों को सिंचाई विभाग द्वारा लिये जाने वाला आबियाना शुल्क माफ किया जायेगा।

★ ओलावृष्टि से प्रभावित गांव जिसमें 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से अधिक फसल का नुकसान हुआ है, को अभावग्रस्त घोषित किये जाने हेतु सूखा संहिता के अनुसार विस्तृत रिपोर्ट जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित की जायेगी।

★ अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त गाँवों को अभावग्रस्त घोषित किये जाने के पश्चात भू–राजस्व वसूली स्थगन किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार सहकारी अल्पकालीन ऋणों की वसूली स्थगित कर मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन किया जायेगा।

★ राहत पैकेज में घोषित सहायता, उन कृषकों को भी दी जा सकती है, जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है, किन्तु जिन्होंने भूमि पर ठेकेदारी/बांटेदारी से फसल की है। ऐसे किसान जिन्होंने खेती बटाई पर की है वह बोयी गई भूमि के खातेदार से 5 रुपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति प्राप्त कर तहसील स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार की समस्या के निर्णय हेतु संबंधित तहसीलदार, ग्राम पटवारी तथा ग्राम सेवक की एक तीन सदस्य समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति इस प्रकार के बिन्दुओं पर निर्णय लेकर निर्धारण करेंगी कि राहत किसे दी जानी है। इसके लिये कृषकों को अपने खातेदार की लिखित सहमति इस समिति को देनी होगी।

★ किसी काश्तकार द्वारा अपने स्वतंत्र रुप से नोशनल शेयर के आधार पर या स्वतंत्र रुप से धारित भूमि के कुल रकबा यदि सीमान्त तथा लघु कृषक के लिए धारित रकबा के अनुसार हो तो उससे लघु सीमान्त कृषक के अनुसार कृषि आदान अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

★ ओलावृष्टि से प्रभावितों (मृतक, घायल, क्षतिग्रस्त मकान एवं पशुओं की मृत्यु आदि) को राज्य आपदा मोचन निधि

शेष पृष्ठ 2 पर .....

ओलावृष्टि एवं बेमौसम बरसात से प्रभावितों को शीघ्र राहत दी जायेगी

कृषि मंत्री श्री प्रभूलाल सैनी ने टोंक पंचायत समिति क्षेत्र एवं देवली क्षेत्र में गत दिनों ओलावृष्टि एवं वर्षा से खराब हुई फसलों का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि अविलम्ब गश्त गिरदावरी रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जा सके।

श्री सैनी ने टोंक जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में ओलावृष्टि एवं बेमौसम वर्षा से फसल खराबे को लेकर राहत एवं आमजन की सहायता को लेकर बैठक भी की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि किसानों की नुकसान हुई फसलों की उचित भरपाई हो। इस दौरान ग्राम पालड़ी, दाखियां, मेंहदवास, अनरिनयां नील, छान ग्राम में ओलावृष्टि एवं बरसात से खराब हुई सरसों एवं गेहूँ की बर्बाद हुई फसल का जायजा लिया एवं ग्रामीणों से जानकारी ली। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि कोई भी पात्र किसान गश्त गिरदावरी से नहीं छुटे इस बात का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की मदद के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है।

कृषि मंत्री ने ओलावृष्टि एवं वर्षा से प्रभावित किसानों की सुध लेने एवं आकाशीय बिजली गिरने पर प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता सुलभ करवाने पर जिला प्रशासन की तत्परता के लिए कलेक्टर डॉ. टीना कुमार को धन्यवाद दिया।

E mail : kheti_ri_batan@yahoo.co.in

इस अंक में....

- मार्च माह के कृषि कार्य
- परख
- बेर में करें कटाई–छँटाई
- अनाज भण्डारण का उचित तरीका

पृष्ठ 2

- जल बचत के लिए फव्वारा ...
- बीज भण्डारण कैसे करें
- जहरीली होती फल एवं सब्जियाँ

पृष्ठ 3

- खेती की नई जानकारी के लिए....
- उपज की सही कीमत पाएँ

पृष्ठ 4

www.krishi.rajasthan.gov.in

दूरभाष – 0141–5116240, 2227365/354

अप्रेल माह के कृषि कार्य

फसलोत्पादन

★ समय से बोई गई गेहूँ की फसल की कटाई–मंड़ाई का प्रबन्ध कर लें अन्यथा कभी–भी वर्षा या ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान हो सकता है।

★ कपास की बुवाई का उचित समय है। एम.आर.सी.–7017 (बीजी–।।), बायो सीड 6588 (बीजी–।।), एम. आर. सी.एच.6304 (बीजी–।), आर. सी.एच. 314 (बीजी–।) बीटी कपास की एवं आर. एस. 2013, आर.एस.टी.–9 आर.एस. 810 अमेरिकन कपास की तथा आर.जी.–8, आर.जी.–18 व राज.डी.एच. 9 देशी कपास की उन्नत किस्में हैं।

★ जौ, चना, मटर, सरसों व मसूर आदि की कटाई व मंड़ाई पूरी कर लें।

★ किसान अपने खेतों से मिट्टी और पानी के नमूने लेकर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में मिट्टी–पानी की जाँच करवायें। इससे फसल के लिए संतुलित खाद/उर्वरक की मात्रा का पता चलेगा, साथ ही पैसों की बचत होगी एवं मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी।

★ रबी फसलों की कटाई के तुरन्त बाद मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी ग्रीष्मकालीन जुताई करें। इससे खरपतवार, कीट, सूत्रकृमि एवं बीमारियों के नियंत्रण एवं वर्षा के पानी का अधिक संग्रह करने में मदद मिलती है।

सब्जियाँ

★ करेला, तुरई, टिण्डा, ककड़ी व खरबूजा में फल मक्खी के प्रकोप से फल काणें हो जाते हैं। फल मक्खी के नियंत्रण हेतु काणें फलों को तोड़कर भूमि में गहरा गाड़कर नष्ट कर देवें तथा कीटनाशी दवा मैलाथियॉन 50 ई.सी. का एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।

★ तरबूज व खरबूजा के फलों की तुड़ाई फलों के पकने पर ही करें। फल के पास के डण्ठल के सूखने, बजाने पर डल आवाज आना, बेल के रंग में परिवर्तन होना, फलों के पकने का संकेत है। पानी

देने के तुरन्त बाद 12–24 घंटे तक फल न तोड़ें।

★ जायद भिण्डी की फसल में पीत–शिरा मोजैक रोग के प्रकोप की संभावना है। इस रोग के प्रकोप से पत्तियां और फल पीले पड़ जाते हैं। पत्तियां चितकबरी होकर प्यालेनुमा शक्ल की हो जाती हैं। इस रोग का प्रसार "सफेद मक्खी" नामक कीट से होता है। अतः इसके नियंत्रण हेतु फूल आने से पहले तथा फूल आने के बाद डायमिथोएट 30 ई.सी. दवा का एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें।

★ ग्रीष्मकालीन सब्जियों में विषाणु रोग के प्रकोप के लक्षण जैसे पत्तियों में ऐंठन, मुरझाना, रोगग्रसित फलों एवं पत्तों का आकार बेड़ोल होना इत्यादि दिखाई देने पर रोग के प्रसार को रोकने के लिए डायमिथोएट 30 ई.सी. दवा का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें।

पुष्पोत्पादन

★ ग्लैडियोलस के कन्दों की खुदाई से 15 दिन पहले सिंचाई बन्द कर दें और स्पाईक काटने के 40 दिन बाद घनकन्दों (कोर्म) की खुदाई करें। कोर्म को 0.2 प्रतिशत मैन्कोजेब पाउडर से शुष्क विधि से उपचारित कर शीतगृह में भण्डारण करें अन्यथा कन्द सड़ जायेंगे।

★ गुलाब में आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं गुड़ाई करें तथा सूखी एवं रोगग्रस्त टहनियों को तोड़ दें।

पशुपालन व दुग्ध उत्पादन

★ पशुओं को बरसीम अधिक खिलाने से आफरा हो जाये तो पशु को 50 से 100 मिलीलीटर तारपीन के तेल में आधा किलो सरसों का तेल मिला कर देवें। पशु को तेज धूप से बचायें।

★ पशु की अच्छी सेहत तथा दूध बढ़ाने के लिए 50–60 ग्राम खनिज मिश्रण अवश्य दें।

★ भेड़ बकरियों को अन्तः परजीवीनाशक दवाई पशु–चिकित्सक की सलाह अनुसार समय–समय पर दें।

चारा फसलें

★ बरसीम की फसल में 10 दिन के अन्तराल पर सिंचाई करते रहें।

★ गर्मी में चारे के लिए मक्का, लोबिया व बहु कटाई वाली चरी की बुवाई अभी भी की जा सकती है।

★ मक्का व लोबिया मिलाकर बोने से अच्छी गुणवत्ता का चारा प्राप्त होता है।

परख

मार्च, 2015 के अंक में प्रकाशित आलेख में से दो प्रश्न पूछे गये थे। सही उतर भेजने वाले लॉटरी द्वारा चुने गये दो विजेता कृषकों के नाम हैं–

1.श्री लालचन्द
पुत्र श्री लखीराम
ग्रा.–मेघावास, पो.–मुबारिकपुर,
तह.–रामगढ़,
जिला–अलवर (301025)
2.श्री चन्द्रसैन सहारण,
ब्रांच पोस्ट मास्टर,
ग्रा. पो.–गुडिया,
तह.–नोहर
जिला–हनुमानगढ़ (335523)

इस माह के प्रश्न हैं –

प्र.1 अमेरिकन कपास की एक उन्नत किस्म का नाम बतायें ?

प्र.2 फव्वारा सिंचाई के उपयोग से कितने प्रतिशत पानी की बचत होती है ?

तो आप भी उठाइये पैन व पोस्ट कार्ड और हमें लिख भेजिये इन दोनों प्रश्नों के सही जवाब –
उप निदेशक, कृषि (सूचना),
कमरा नम्बर 118, कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन,
जयपुर–302005

अनाज भण्डारण का उचित तरीका

◆ अनाज भरने वाली बोरियां/पात्रों को अच्छी तरह साफ कर धूप में सुखा लें।

◆ अनाज में किसी प्रकार की कीटनाशक औषधि नहीं मिलायें।

◆ कमरे/ गोदाम में लकड़ी के पट्टे/ पॉलीथिन शीट पहले बिछायें, उसके ऊपर अनाज की भरी हुई बोरियां रखें।

◆ अनाज की बोरियों को गोदाम/ कमरे की दीवारों से दूर रखें।

◆ कमरे/ गोदाम के रोशनदान/ खिड़कियों को बरसात में न खोलें। खुले मौसम व उष्ण के दिनों में हवा दें।

◆ कमरे/ गोदाम में खुला/ बिखरा हुआ अनाज न छोड़ें।

◆ पुरानी बोरियों को काम में लेना हो तो उन्हें मैलाथियॉन के घोल में (एक भाग मैलाथियॉन 50 ई.सी. तथा 500 भाग पानी) 10 मिनट तक डुबोकर कीट रहित करें। डुबोने के बाद उन्हें सुखाकर अनाज भरने के काम लेवें।

◆ अनाज के भण्डारण के समय तथा बाद में कीड़े लगने पर एल्यूमीनियम फॉस्फाइड से प्रधूमन (फ्यूमीगेशन) करें। यह दवा 12 ग्राम की गोली के रुप में हवा बंद पाउच एवं 10 ग्राम चूर्ण के पाउच में आती है। इसका उपयोग एक–दो गोली प्रति टन या 3 ग्राम चूर्ण प्रति टन खाद्यान्न की दर से किया जाता है।

पृष्ठ 1 का शेष (सरकार ने की)....

मानदण्ड अनुसार सहायता उपलब्ध करायी जायेगी:–

(i) एस.डी.आर.एफ. में निर्धारित नॉर्मस के अन्तर्गत जनहानि के लिये 1.5 लाख रुपये देय हैं। इसके अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा दिये जायेंगे।

(ii) निर्धारित नोर्म्स के तहत वर्तमान में अधिकतम 4 भेड़–बकरी के लिये 1650 रुपये प्रति पशु निर्धारित है। मृतक भेड़–बकरी के लिये प्रति परिवार/ काश्तकार को देय राहत की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये की गई है, जिसमें 4 पशुओं तक सहायता एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स से देय है एवं शेष सहायता राज्य मद से दी जायेगी।

(iii) निर्धारित नोर्म्स के तहत वर्तमान में अधिकतम एक दुधारु पशु (गाय, भैंस, ऊँट) के लिये 16400 रुपये प्रति पशु निर्धारित है। प्रति काश्तकार/ परिवार देय राहत की अधिकतम सीमा 1.25 लाख रुपये की गई है। परन्तु 1 पशु तक सहायता राशि एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स से देय है एवं शेष सहायता राज्य मद से दी जायेगी।

★ यह सहायता केवल दुधारु पशुओं के लिए देय है। बड़े पशुओं में गाय, भैंस, ऊँटणी शामिल हैं तथा छोटे पशुओं में मेंड, बकरियाँ शामिल हैं। यह सहायता एस.डी. आर.एफ. नोर्म्स के अन्तर्गत देय सहायता को शामिल करते हुए सहायता राशि देय है।

बेर में करें कटाई-छँटाई

फल वृक्षों में कटाई–छँटाई का कार्य समय पर नहीं करने से फलों के उत्पादन में बहुत गिरावट आ जाती है। कई प्रकार के वृक्षों में तो फल आना बहुत कुछ उनकी कटाई–छँटाई पर ही निर्भर है। बेर की उन्नत एवं देशी किस्मों के पौधे अप्रैल–मई माह में सुषुप्तावस्था में रहते हैं। यही समय होता है जब उनकी कटाई–छँटाई की जानी चाहिये। पौधों को सही आकार देने तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिये पौधों की शुरु से ही हर वर्ष संधाई एवं छँटाई जरुरी है। पहले वर्ष पौधे की अगल–बगल से बहुत–सी शाखायें निकलती हैं। इन शाखाओं को जमीन से 75 सेमी. (अर्थात ढ़ाई फीट) तक काट दें। उसके बाद पौधे को अच्छा आकार देने के लिये तने के चारों ओर की चार–पाँच शाखाओं को छोड़ दें और छोटी शाखाओं के शीर्ष को काट दें। वर्ष के अंत में मुख्य तने के शीर्ष को भी काट दें जिससे अन्य शाखायें निकलेंगी। दूसरे वर्ष शाखायें अधिक निकलती हैं और पौधे का ढ़ाँचा भी अच्छा बनता है। एक शाखा को दूसरी शाखा पर न जाने देने के लिये तने से सटा कर काट देना चाहिये तथा 4–5 से अधिक शाखायें नहीं रखनी चाहिये। हर वर्ष पत्तियों के कक्ष से निकली कली से जो नई शाखायें बनती हैं उन्हीं में फूल और फल लगते हैं। छँटाई करने से अधिक फल ही नहीं मिलते बल्कि फल तोड़ने व अन्य कृषि कार्यों में भी सुविधा होती है। शाखाओं के 25 प्रतिशत भाग की छँटाई करने पर फलों की संख्या, आकार और वजन में वृद्धि होती है और उत्पादन भी अधिक होता है जबकि 75 प्रतिशत भाग की छँटाई करने पर वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है और उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः बेर के वृक्ष में 50–60 प्रतिशत तक छँटाई ही उपयुक्त है।

पानी का नहीं कोई विकल्प
बचाएं जल करें संकल्प

जल बचत के लिए फव्वारा सिंचाई विधि का समुचित उपयोग

पिछले कई वर्षों से लागातार पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए यह अनिवार्य हो गया है कि कुओं में उपलब्ध जल का सिंचाई के लिए समुचित तथा दक्षता पूर्वक उपयोग किया जाये। इस दिशा में कृषकों द्वारा फव्वारा सिंचाई विधि (स्प्रिंकलर सिस्टम) तथा फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में बूंद–बूंद सिंचाई का उपयोग एक उचित कदम है। फव्वारा सिंचाई का उपयोग सभी फसलों में (धान एवं जूट को छोड़कर) किया जाता है।

◈यह प्रणाली चिकनी मृदा वाली जमीन (भारी काली मिट्टी) जिसमें पानी सोखने की दर 4 मिलिलीटर प्रति घंटा से कम है, कम उपयोगी पाई गई है, रेतीली मिट्टी जिसमें पानी सोखने की क्षमता अधिक है वहाँ फव्वारा सिंचाई विधि अधिक लाभप्रद है।

◈सिंचाई के समय फव्वारों को चलाने की अवधि का आंकलन कर लेना चाहिये। एक अनुमान के अनुसार 4.75 X 3.175 मि.मी. नोजल वाले फव्वारों की लाईन से लाईन के बीच की दूरी 12 मीटर तथा फव्वारे से फव्वारे के बीच 12 मीटर की दूरी रखकर 2.5 किग्रा प्रति वर्ग सेन्टीमीटर के जल दाब पर एक जगह चलाने पर 1.5 सेमी. प्रति घंटा के हिसाब से सिंचाई की गहराई की गणना की जाती है।

◈साधारणतया एक फव्वारे के छिड़काव क्षेत्र का 50–60 प्रतिशत भाग दूसरे फव्वारे से अच्छादित होना चाहिये। एक फव्वारे से दूसरे फव्वारे के बीच की दूरी 6–12 मीटर तथा फव्वारा घूमने की गति 0.5 से 1.0 चक्कर प्रति मिनट रखी जाती है।

◈फव्वारा सिंचाई से क्यारी सिंचाई की तुलना में समान उत्पादन के साथ 30–35 प्रतिशत अधिक जल उपयोग दक्षता,

55–60 प्रतिशत श्रमिकों की कमी तथा 35–40 प्रतिशत सिंचाई के व्यय में कमी होती है।

◈**गेहूँ** में लाईन से लाईन 12 मीटर तथा फव्वारे से फव्वारे के बीच की दूरी 12 मीटर रखकर 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी. पानी के दबाव से एक जगह तीन घंटे चलाने पर 50 मिली. (एक सिंचाई) पानी लग जाता है। फव्वारे से फसल में पाँच सिंचाईयाँ बुवाई के 25 दिन बाद (शीर्ष जड़ जमने पर), 65 दिन बाद (गांठ बनते समय), 90 दिन बाद (बाली बनते समय), 108 दिन बाद (दूधिया अवस्था) 122 दिन बाद (दाना पकते समय) करनी चाहिये। फव्वारे द्वारा सिंचाई करने पर 40 प्रतिशत पानी की बचत होती है।

◈**चना** में फव्वारा सिंचाई पद्धति से दो सिंचाईयाँ बुवाई के 60 एवं 110 दिन बाद करें। प्रत्येक सिंचाई में पानी की गहराई 60 मिमी. रखें। इस विधि से 27 प्रतिशत पानी की बचत संभव है।

◈**सरसों** में फव्वारा विधि से दो सिंचाईयाँ बुवाई के 40 एवं 90 दिन पर कर दें। प्रत्येक सिंचाई में पानी की गहराई 60 मिमी. रखें।

◈**प्याज में सूक्ष्म फव्वारा सिंचाई:** प्याज में सूक्ष्म फव्वारा सिंचाई करने के लिए नोजल से नोजल की दूरी 6 मीटर तथा लाईन से लाईन की दूरी 5 मीटर रखकर 2.5 किग्रा. प्रति वर्ग सेमी. पानी के दाब पर वाष्पन के 80 प्रतिशत दर पर प्रति सप्ताह एक सिंचाई करें। सूक्ष्म फव्वारों द्वारा उर्वरक सिंचाई (फर्टीगेशन) के लिए सिफारिश की गई नत्रजन एवं पोटाश की 75 प्रतिशत मात्रा चार बराबर भागों में 15 दिन के अन्तराल पर दें। रोपाई के बाद एक घंटा प्रतिदिन, तीन दिन तक फव्वारा चलायें।

◈वर्षा होने पर उचित अन्तराल के लिए सिंचाई बन्द कर दें। यदि सूक्ष्म फव्वारों द्वारा सिंचाई की दर 6.4 मिमी. प्रति घंटा हो तो अप्रेल माह में 5 घंटा 5 मिनट फव्वारा चलायें। सूक्ष्म फव्वारा विधि द्वारा फर्टीगेशन से सतही सिंचाई की तुलना में लगभग 44 प्रतिशत पैदावार में वृद्धि एवं 22 प्रतिशत जल बचत होती है।

बीज भण्डारण कैसे करें

फसल कटाई के बाद बीजों को कम नमी और कम तापमान पर रखने से उनकी गुणवत्ता को काफी समय तक बरकरार रखा जा सकता है। लेकिन बीजों के भण्डारण के स्थान पर अधिक नमी हो तो, बीज में कई प्रकार के कीट व कवकों का आक्रमण हो जाता है। इससे बीजों की गुणवत्ता को भारी नुकसान पहुँचता है। वैज्ञानिक रुप से प्रसंस्कृत बीज यदि लाते ले जाते समय सही देखभाल एवं भण्डारण नहीं किया जाये तो इसका प्रभाव बीजों के अंकुरण क्षमता पर पड़ता है।

भण्डार गृह के लिए मुख्य बिन्दुः–

भण्डारण के लिए स्थान का चुनाव

• स्थान आस–पास के स्थान से ऊँचा होना चाहिये। जहाँ दीमक का प्रकोप हो वहाँ भण्डार गृह नहीं होने चाहिये।

• भण्डार गृह की सतह चिकनी एवं गड्ढे रहित होनी चाहिये।

• भण्डार गृह की दीवारों में किसी प्रकार की दरारें नहीं हों क्योंकि वे कीड़ों के प्रजनन का महत्वपूर्ण स्थान होता है।

• भण्डार गृह की खिड़कियाँ बन्द होनी चाहिये तथा छांया वाले स्थान पर होनी चाहिये।

• भण्डार गृह की छत में भी दरारें नहीं होनी चाहिये जिससे छत से आने वाली नमी को रोका जा सके।

• भण्डार गृह की सफाई समय–समय पर करते रहना चाहिये।

गेहूँ, जौ, बाजरा के बीजों का मण्डारण

• **कीटनाशक का उपयोग**– डेल्टामेथ्रिन 2.5 डब्ल्यू.पी. 3.5 मि.ली. या इमामेक्टिन बैंजोएट 5 एस.जी. 40 मि.ली. प्रति किलोग्राम बीज की दर से सीड़ ड्रेसर में मिलाकर एवं बीज को अच्छी तरह सुखाकर बोरियों में एक साल तक कीट रहित भण्डारण किया जा सकता है।

• **अखाद्य तेल का उपयोग**–नीम एवं पलास के तेल का पाँच मि.ली. प्रति किलो बीज की दर से उपयोग कर गेहूँ के बीज को एक वर्ष तक घुन से सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे अंकुरण भी प्रभावित नहीं होता।

दलहन बीजों का मण्डारण

• **कीटनाशक का उपयोग**– मूंग के बीज को इमामेक्टिन बैंजोएट 5 एस.जी. (40 मि.ग्रा./कि.ग्रा) से उपचारित कर एवं बीज को सुखाकर भण्डारण करने पर बीज एक वर्ष तक सुरक्षित रखा जा सकता है और बीज की अंकुरण क्षमता भी बनी रहती है। कीटनाशी की मात्रा को पाँच मि.ली. पानी में धोलकर प्रति कि.ग्रा. बीज को उपचारित कर एवं सुखाकर भण्डारण करना चाहिये। थाइरम 2.5 ग्राम प्रति किलो का उपयोग कर बीज को धौरा कीट से सुरक्षित रखा जा सकता है।

• **खाद्य तेल का उपयोग**– चने के बीज को मूंगफली या सरसों के तेल से 10 मि.ली. प्रति किलो की दर से उपचारित कर धौरा कीट के प्रकोप से सुरक्षित रखा जा सकता है।

• भण्डारण के लिए बोरियों (जूट, कपड़े व एच.डी.पी.ई) पर एमामेक्टिन बैंजोएट 5 एस.जी (2 ग्राम) या डेल्टामेथ्रिन 2.8 ई.सी (3.5 मि.ली) प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें, उसके बाद छांया में सुखाकर उनमें कीट रहित तथा अनुपचारित मूंग के बीजों को 9 माह तक साधारण भण्डारण गृह में सुरक्षित रखा जा सकता है। इस प्रकार बीजों की अंकुरण क्षमता भी बरकरार रहती है।

कपास के बीजों का मण्डारण

• कपास के बीज में छुपी हुई गुलाबी सूंडी को नष्ट करने के लिये बीजों को धूमित करने हेतु 40 किलो बीज में एल्युमिनियम फास्फाईड की गोली/पाऊच की 3 ग्राम मात्रा काफी रहती है। बीज में दवा डालकर उसे हवा रोधी बनाकर 24 घंटे तक बन्द रखने के बाद भण्डारण करें। धूमित करना संभव न हो तो तेज धूप में बीजों को पतली तह के रुप में फैला कर 6 घंटे तक तपने देवें एवं बाद में भण्डारण करें।

• भण्डारण के लिए 700 गेज पॉलीथिन बैग का उपयोग करें।

• इसमें सब्जी वाली फसलों जैसे मिर्च, प्याज आदि का सुरक्षित भण्डारण किया जा सकता है। 700 गेज पॉलीथिन का ही उपयोग करें एवं बीज में किसी प्रकार के कीट का प्रकोप नहीं होना चाहिये। बैग में भरने से पूर्व बीज पूरी तरह सुखा होना चाहिये (नमी 5 प्रतिशत या 5 से कम)। बीजों को कीट रहित करने के लिए फ्यूमीगेशन पद्धति का उपयोग करें।

• **फ्यूमीगेशनः**– एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की गोली/पाऊच की 3 ग्राम मात्रा प्रति घन मीटर भण्डारण जगह की दर से हवा बन्द भण्डार गृहों का फ्यूमीगेशन करना चाहिये। ऐसा करने पर बीज एक सप्ताह में कीट रहित हो जायेगा।

बीज मण्डारण में सावधानियाँ

• खलिहान से बीज को अच्छी तरह से सफाई के बाद ही भण्डारण करना चाहिये।

• नमी की मात्रा 8 से 9 प्रतिशत होनी चाहिये।

• 40–50 डिग्री सेन्टीग्रेट तापमान पर काले पॉलीथिन के ऊपर बीजों को 8–10 घण्टे सुखाने पर भण्डारण कीटों का प्रकोप नष्ट हो जाता है। उसके बाद बीजों को 700 गेज पॉलीथिन में सील करके, रख देना चाहिये। इससे भण्डारण में कीटों का प्रकोप नहीं होता तथा अंकुरण क्षमता भी प्रभावित नहीं होती है।

• भण्डार गृह में विण्डो ट्रेप व ग्रेन प्रोब का इस्तेमाल करके कीड़ों के आगमन का पता लगाकर उसका सही उपचार करें।

जहरीली खेती फल एवं सब्जियाँ

अच्छी सेहत के लिए डॉक्टर्स अपनी दैनिक दिनचर्या में हरी सब्जियाँ और फल खाने की सलाह देते हैं जिससे शरीर को जरुरी पोषक तत्व मिल सकें। लेकिन इन सब बातों को ताक पर रखकर बाजार में पहूँचने वाली सब्जियाँ और फल गंदे पानी में उगाई जाती हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि नाले और कारखाने द्वारा छोड़े गए गंदे पानी से उत्पन्न की गयी फल और सब्जियों में बहुत से शरीर को नुकसान करने वाले हानिकारक तत्व मौजूद होते हैं। जो मनुष्य के स्वास्थ्य और शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। इन सब बातों को वैज्ञानिक जांचें भी साबित करती हैं।

★ **रसायनों का अंधाधुंद उपयोगः**– आजकल रसायनों की सहायता से संरक्षित की हुई बेमौसम की जो सब्जियाँ खाते हैं वे पथरी, अल्सर, डायबिटीज, थॉयराइड, पाइल्स, केंसर, ब्लड प्रैशर आदि बीमारियों को जन्म दे सकती हैं। गंदे पानी से सिंचाई करने और रसायनों के अंधाधुंद इस्तमाल से उत्पादन तो बढ़ जाता है परन्तु यह खेत की मिट्टी, मनुष्यों एवं पशुओं सभी के लिए बहुत घातक होते हैं। इन रसायनों से मानव तंत्रिका तंत्र पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कुछ रसायनों से कैंसर भी हो सकता है।

★ **हरियाली और बढ़े आकार का सचः**– सब्जियों के खेत की सिंचाई प्रदूषित जल से की जाती है जिसमें अनेकों जहरीले पदार्थ पौधों द्वारा अवशोषित होते हैं। ऐसी सब्जियों से हम रोजाना 0.5 मिलीग्राम जहर ले रहे हैं। सब्जी के आकार को जल्दी बढ़ा करने के लिए उसमें ऑक्सीटॉसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। यह प्रयोग बेल वाली सब्जियों पर सबसे ज्यादा किया जाता है इससे सब्जियों की लंबाई–चौड़ाई जल्दी बढ़ जाती है और किसान ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। बासी सब्जियों को मैलाथियॉन के घोल में दस मिनट तक डाला जाता है। ताकि सब्जी 24 घंटे तक ताजा रहे। इसका प्रयोग भिंडी, गोभी, मिर्च, परवल, लौकी, पत्ता गोभी पर किया जाता है।

★ **सर्तकता ही बचावः**– फल और सब्जियों में मौजूद इस जहर को कम करने के लिए इनको उपयोग में लेने से पहले अच्छी तरह साफ पानी से धों लें, आवश्यकतानुसार सिरके या खाने के सोडे से भी धो सकते हैं। छिलके वाले फल व सब्जियों का छिलका उतारकर उपयोग करें। जो किसान खेती में इन रसायनों का अंधाधुंद उपयोग कर रहे हैं, वह अपने और दूसरों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए समन्वित कृषि प्रणालियों अथवा खेती में जैविक कारकों का अधिक से अधिक उपयोग करें। यदि रसायनों का छिड़काव किया भी है तो इन रसायनों की प्रतिक्षा अवधि के बाद ही फल व सब्जियों को तोड़कर बाजार/मण्डी में लायें।

ऐसे मंगवायें "खेती री बातां"
घर बैठे वर्षभर **खेती री बातां** अखबार मंगवाने के लिये अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में सम्पर्क करें या आहरण वितरण अधिकारी, कृषि आयुक्तालय कमरा नं. 250, पंत कृषि भवन, जयपुर के नाम 12/– रुपये का मनीआर्डर भेजें। **स्वयं का साफ–साफ डाक का पूरा पता, पिन कोड नंबर व मोबाइल नंबर अवश्य लिखें।**

डाक पं.सं. **JaipurCity/409/2015-17**
आर.एन.आई – 70296/98

प्रेषक–
उप निदेशक कृषि (सूचना)
118, पंत कृषि भवन,
जयपुर–302005

प्रेषिति–

पृष्ठ 1 का शेष (राज्य बजट.....)

सहरिया जनजाति, गैर–जनजाति बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवार के 2 लाख कृषकों को संकर मक्का के प्रमाणित बीज के मिनिकिट्स वितरित किये जायेंगे, इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

★ राज्य के पश्चिमोत्तर जिलों में जैतुन की खेती की विपुल संभावनाओं को देखते हुए वर्ष 2015–16 में कृषकों को 200 हैक्टर क्षेत्र में जैतून के पौधारोपण करने हेतु अधिकतम 48 हजार रुपये प्रति हैक्टर का अनुदान दिया जायेगा।

★ नागौर जिले में नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

★ राज्य के 12 लाख किसानों को अनुदानित दरों पर विद्युत उपलब्ध कराने के लिए राज्य की तीनों डिस्कॉम को वर्ष 2015–16 में कुल 6 हजार 116 करोड़ 58 लाख रुपये की टेरिफ अनुदान उपलब्ध करवायी जायेगी।

★ वर्ष 2014–15 में सहकारी बैंकों के माध्यम से शून्य ब्याज दर पर किसानों को फसली ऋण की व्यवस्था को यथावत् रखते हुए वर्ष 2015–16 में काश्तकारों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 17 हजार 500 करोड़ रुपये के फसली सहकारी ऋण वितरित किये जायेंगे। इसके लिए 370 करोड़ रुपये अनुदान के रुप में उपलब्ध करवाये जायेंगे।

★ इसके साथ–साथ सहकारी बैंकों को ब्याज अनुदान हेतु 150 करोड़ रुपये भी उपलब्ध करवाये जायेंगे।

★ सरकार ने वर्ष 2014–15 में दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिये जाने की घोषणा की थी। इस योजना का लाभ काश्तकारों को वर्ष 2015–16 में भी राज्य भूमि विकास बैंक के माध्यम से दिया जायेगा एवं इस हेतु 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

★ वर्ष 2015–16 में 100 ग्राम सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण के लिए 10 लाख रुपये प्रति समिति कुल 10 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे। साथ ही, पूर्व में निर्मित गोदामों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए भी 10 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे।

★ राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो सके, इस हेतु हमें स्थापित बांधों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करते हुए राज्य से बाहर जा रहे अतिरिक्त पानी को भी रोकना होगा। राज्य में पूर्व में निर्मित परियोजनाओं की जल उपयोग क्षमता बढ़ाने तथा जल के समुचित उपयोग हेतु निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:–

– पंचायती राज संस्थानों को स्थानांतरित तालाबों में से 35 का जीर्णोद्धार 35 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण करवाया जायेगा।

– 53 सिंचाई परियोजनाओं की बैंच मार्किंग स्टडी करवाई जा चुकी है। वर्ष 2015–16 में 70 अन्य सिंचाई परियोजनाओं की बैंच मार्किंग स्टडी करवाकर इन सभी परियोजनाओं को उनकी बनावट दक्षता के स्तर पर लाने हेतु चरणबद्ध रुप से आवश्यक कार्य करवाये जायेंगे।

– बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पाली, जोधपुर, जालौर, धौलपुर, करौली तथा बूंदी जिलों में 90 करोड़ रुपये की लागत से 32 जलाश्यों के जीर्णोद्धार के कार्य प्रारंभ कर इनमें से 17 कार्यों को वर्ष 2015–16 में पूर्ण किया जायेगा। इस हेतु 36 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही विभिन्न जिलों के 77 जलाश्यों के जीर्णोद्धार कार्यों की डी.पी.आर. तैयार की जायेगी।

–जयपुर, भरतपुर, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर जिलों की 33 सिंचाई परियोजनाओं को 15 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण किया जायेगा। साथ ही चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा, कोटा तथा जयपुर जिलों के 27 बांधों एवं नहरों के जीर्णोद्धार हेतु डी.पी.आर. तैयार करवाई जायेगी।

– आगामी वर्ष में कोटा, बूंदी, टोंक, श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों में 53 हजार 612 हैक्टर क्षेत्र में 118 करोड़ रुपये की लागत से पक्के खालों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर 40 हजार हैक्टर क्षेत्र में इसे पूरा करवाया जायेगा।

– भीलवाड़ा जिले के जैतपुरा डेम की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य 21 करोड़ 44 लाख रुपये की लागत से करवाया जायेगा।

– बारां गोपालपुरा तहसील किशनगंज मध्यम सिंचाई परियोजना का पुनरुद्धार 20 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा।

– बांसवाड़ा की माही परियोजना के विद्यमान नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण का कार्य आगामी तीन वर्षों में 110 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा।

– भविष्य में बनायी जाने वाली परियोजनाओं में फव्वारा एवं ड्रिप पद्धति से सिंचाई की अनिवार्यता लागू की जायेगी। साथ ही पूर्व निर्मित सिंचाई परियोजनाओं में भी फव्वारा एवं ड्रिप पद्धति लागू करने की कार्ययोजना तैयार की जायेगी।

★ जैसा कि हम सभी जानते हैं, राजस्थान में पूरे देश का मात्र एक प्रतिशत जल उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में सतही जल की एक–एक बून्द संग्रहण करना हमारा नैतिक दायित्व है। इसी क्रम में निम्न घोषणायें की गई:–

– वर्षा जल, सतही जल, भू–जल तथा मृदा नमी पर आधारित चार जल अवधारणा के तहत साबरमती, लूणी, पश्चिमी बनास तथा सूकली बेसिन में वर्ष 2015–16 में 115 सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को 300 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण कर 5 हजार 265 हैक्टर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।

– वर्ष 2014–15 में बांसवाड़ा जिले में माही नदी की सहायक बुनाद व झालावाड़ जिले में चंबल नदी की सहायक आहू के बेसिन में 263 लघु सिंचाई टाकें के डूब क्षेत्र (catchment) क्षेत्रफल 1 लाख 33 हजार 491 हैक्टर में चार जल अवधारणा के तहत कार्य हाथ में लिया गया है। वर्ष 2015–16 में इस कार्य के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। जलग्रहण विकास विभाग द्वारा कराये जा रहे इस कार्य के साथ अन्य विभाग द्वारा कराये जा रहे चार जल अवधारणा आधारित कार्य भी राजस्थान नदी बेसिन प्राधिकरण की देखरेख में कराये जायेंगे।

– झालावाड़ जिले में गुराड़िया एवं रोशनबाड़ी लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण 100 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा। इन दोनों परियोजनाओं से झालरापाटन तथा पिड़ावा तहसील के 16 गाँवों की 3 हजार 109 हैक्टर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।

– चूरू जिले में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर प्रणाली के शेष सीमित क्षेत्र में फव्वारा पद्धति से सिंचाई के कार्य 70 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।

★ इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में शेष रहे 11 हजार हैक्टर सिंचित क्षेत्र तथा नर्मदा वृहद सिंचाई नहर परियोजना में शेष रहे 7 हजार हैक्टर क्षेत्र को खोला जाकर इन परियोजनाओं को पूरा किया जायेगा। इस क्षेत्र में भी फव्वारा पद्धति से सिंचाई लागू की जायेगी।

★ टोंक जिले की ढीबरु सागर, झालावाड़ जिले की पीपलाद मध्यम सिंचाई परियोजना, जयपुर जिले की मामतोरी, चित्तौड़गढ़ जिले की सांकल खेड़ा, मालादेवी एवं धाधड़ा, प्रतापगढ़ जिले की सिरसी का नाका तथा बांसवाड़ा जिले की भीखाभाई सागवाड़ा नहर लघु सिंचाई परियोजनाओं को इस वर्ष पूर्ण किया जायेगा। जिससे 8 हजार 71 हैक्टर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

पशुपालन एवं डेयरी

★ प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन की अहम भूमिका है। राज्य में पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए निम्न घोषणायें की गई:–

– 200 उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्त किया जायेगा। साथ ही 600 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इन पर 13 करोड़ 17 लाख रुपये का व्यय होगा।

– 26 तहसीलों में पशुधन चल आरोग्य ईकाईयां स्थापित की जायेंगी। इस पर अनुमानित व्यय 54 लाख रुपये होगा।

★ जयपुर शहर में पाँच बत्ती के पास बहुद्देश्यीय पशु चिकित्सालय संचालित है। वर्तमान में यह क्षेत्र अत्यधिक भीड़भाड़ वाला हो गया है तथा बड़े पशुओं को इस चिकित्सालय पर लाना कठिन हो गया है। अतः इस भूमि का पुनरुद्धार (redevelopment) कर इससे प्राप्त आय से जयपुर के बाहरी क्षेत्र में आवश्यकतानुसार एक से अधिक उच्च स्तरीय बहुद्देश्यीय पशु चिकित्सालय निर्मित किये जायेंगे।

★ पशु चिकित्सालय भवनों में काफी लंबे समय से मरम्मत एवं पुताई का कार्य नहीं होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि ये चिकित्सालय स्वयं ही बीमार हैं। इन चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था की भी समस्या है। अतः वर्ष 2015–16 में 1 हजार संस्थाओं में मरम्मत, पुताई, सफाई व्यवस्था हेतु 3 करोड 88 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

★ पशुपालन गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु प्रदेश स्तर पर प्रतिवर्ष एक्सपो एवं संभाग स्तर पर पशु प्रदर्शनियों का आयोजन किया जायेगा। प्रदर्शनी में पशुपालकों के साथ–साथ राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाएं एवं विभिन्न उत्पादक कंपनियां भाग लेंगी।

★ पशुपालन शिक्षा के विस्तार के लिए चरणबद्ध तरीके में निम्न कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं:–

★ पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट ऑफ वेटनेरी एजुकेशन एवं रिसर्च, जयपुर में स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जायेगा। इस पर 5 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

★ – डग जिला झालावाड़ में 2 करोड़ रुपये का व्यय कर मालवी गाय प्रजनन फार्म की स्थापना की जायेगी एवं वेटनरी डिप्लोमा कोर्स भी प्रारंभ किया जायेगा।

★ ऊँट दुग्ध अनुसंधान के प्रयास को आगे बढ़ाते हुए लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से राज्य सरकार तथा नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी द्वारा केमल जेनेटिक्स इम्यूनोलॉजी पर केन्द्रित अनुसंधान परियोजना प्रस्ताव तैयार किये जायेंगे। इसके साथ–साथ आगामी वर्ष में केमल जेनेटिक्स एवं इम्यूनोलॉजी पर बायोटेक्नोलॉजी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से परियोजना प्रारंभ की जायेगी।

उपज की सही कीमत पाएं

फसल को साफ सुथरे खलिहान में सुखायें, थ्रेसिंग कर दाने साफ कर, सुखा कर तथा बोरियों में भरकर मण्डी में ले जायें।

खेती की नई जानकारी के लिए.....

बात करें
किसान कॉल सेन्टर
निःशुल्क टेलीफोन
1800 180 1551 पर
(प्रातः 6 से रात्रि 10 बजे तक)

देखें
जयपुर दूरदर्शन पर
खेती बाड़ी ▸ गुरूवार सायं 7.30 बजे
कृषि दर्शन ▸ सोमवार से शुक्रवार सायं 5.30 बजे

सुनें
"खेती री बातां" आकाशवाणी कार्यक्रम
आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से प्रतिदिन सायं 7.45 से 8.15 तक

पढ़ें
"खेती री बातां" मासिक अखबार
डाक से मंगवाने के लिए मात्र 12 रूपये वार्षिक शुल्क निकटतम कृषि कार्यालय में जमा करायें

मिलें
नजदीकी कृषि कार्यालय या जिले के कृषि विज्ञान केन्द्र में

लॉग ऑन करें
www.krishi.rajasthan.gov.in
(विभागीय वेबसाइट)
www.farmer.gov.in
(संदेश व अन्य जानकारी)

स्वत्वाधिकारी कृषि विभाग राजस्थान सरकार के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक उप निदेशक, कृषि (सूचना), कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा कृषि सूचना मुद्रणालय, जयपुर से मुद्रित और पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर से प्रकाशित।

प्रकाशक – खेमराज शर्मा
सम्पादक – डॉ. पूनम चौधरी
परामर्श – जे.पी. यादव
डिजाइनर – आर. मैसी